



श्रम संसाधन विभाग
Government of Bihar
Labour Resources
Department



बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना

अनुदान :

दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में :-

₹200000/- (दो लाख) मृतक के आश्रित को।

स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में :-

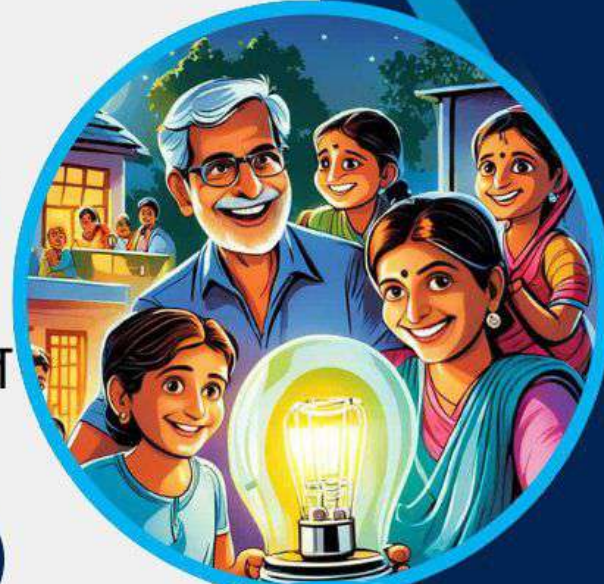
₹100000/- (एक लाख)

स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में :-

₹50000/- (पचास हजार)

योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर

1800-296-5656 पर संपर्क करें



LRD_Bihar



श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार



@labourresourcesdepartment



@lrdbihar01



श्रम संसाधन विभाग
Government of Bihar
Labour Resources
Department



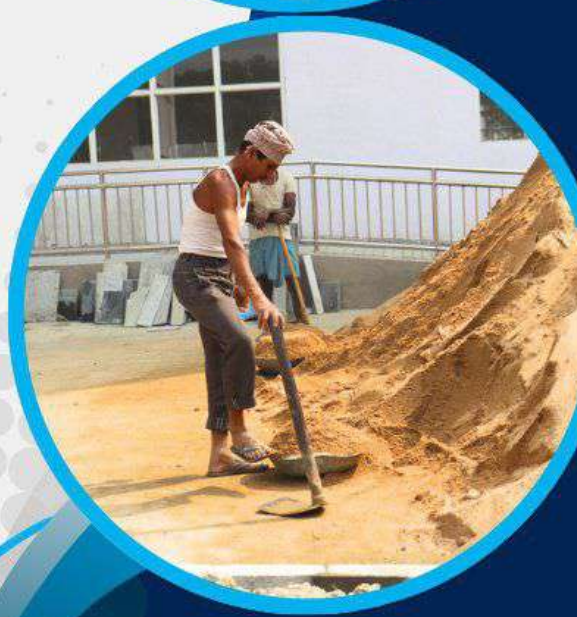
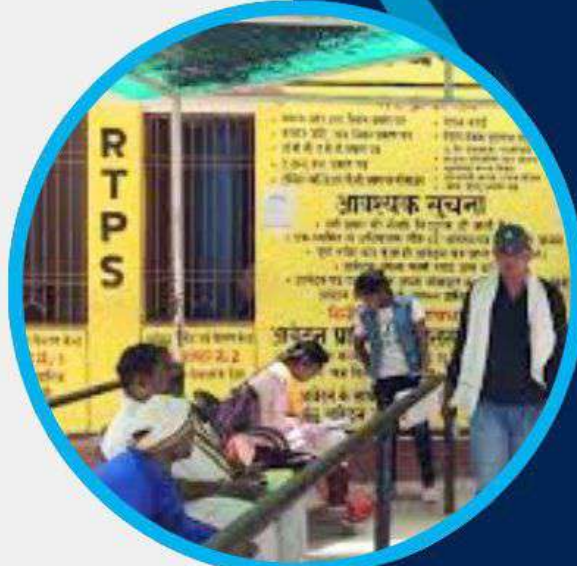
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना

अनुदान लेने की प्रक्रिया

अनुदान लेने हेतु आवेदक स्वयं अथवा उनके आश्रित बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत **RTPS Counter** अथवा **Online Portal** के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी** से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में **श्रम अधीक्षक** के माध्यम से **जिलाधिकारी** द्वारा आवेदन स्वीकृत किया जाता है। सभी जिले के **श्रम अधीक्षक** योजना के प्रभारी पदाधिकारी होते हैं।

आवेदन का निपटारा 44 दिनों में किया जाता है।

योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर
1800-296-5656 पर संपर्क करें



LRD_Bihar



श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार



@labourresourcesdepartment



@lrdbihar01